पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या. 316/2024

==========

सुरेश साह पुत्र स्वर्गीय बड़ेलाल साह, निवासी ग्राम-वार्ड संख्या 8, बनियापट्टी, जगदीशपुर, डाकघर-जगदीशपुर, थाना-नौतन (जगदीशपुर), जिला-पश्चिमी चम्पारण।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।
6. अनुमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।
7. थाना प्रभारी, जगदीशपुर, जिला-पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

..... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता

सुश्री लक्ष्मणा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री बिरजू प्रसाद (जीपी-13)

श्रीमती श्वेता आनंद, एसी टू जीपी-13

==========

मोटर वाहन अधिनियम, 1988---धारा 161---मोटर वाहन नियम, 1992---नियम 225(ए) से 225(एफ), 226 से 247---बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियम, 2021---बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (स्थापना एवं सेवा शर्त) नियम, 2023---हिट एंड रन मामलों में अनुग्रह मुआवजा---- याचिकाकर्ता के पुत्र की मृत्यु दिनांक 21.03.2022

*को अज्ञात ट्रक के तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई सड़क दुर्घटना में हो गई थी--- सोलेशियम स्कीम, 1989 में निहित प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को अनुग्रह राशि के रूप में 25,000/- रुपये का भुगतान किया गया--- याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा 15.09.2021 से प्रभावी होने वाली 11.08.2021 की अधिसूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता एक हिट एंड रन मामले में अपने बेटे की मृत्यु के कारण अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपये की राशि के भुगतान का हकदार है --- प्रतिवादी ने यह प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया कि सोलाटियम योजना, 1989 के अनुसार, याचिकाकर्ता केवल 25,000 रुपये की राशि का हकदार है, लेकिन यह विवाद करने में विफल रहा कि परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी 11.08.2021 की अधिसूचना, हिट एंड रन मामले में मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपये की राशि के भुगतान का प्रावधान करती है, 21.03.2022 को अस्तित्व में थी, अर्थात याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु की तारीख 11.08.2021 को 20.10.2023 दिनांकित एक अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा निरस्त कर दिया गया है, तथापि, 26.10.2023 से प्रभावी है, अतः निर्विवाद रूप से मध्यवर्ती अवधि के दौरान, 11.08.2021 दिनांकित अधिसूचना कानूनी रूप से वैध, प्रवर्तनीय, लागू और प्रतिवादियों पर बाध्यकारी थी, इस प्रकार याचिकाकर्ता अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का हकदार है --- जिला मजिस्ट्रेट को याचिकाकर्ता को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर 4,75,000/- रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया --- रिट स्वीकृत। (पैरा **1, 6-9**)*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक: 25-07-2024

वर्तमान मामला एक विपत्तिपूर्ण मामला है, जिसमें याचिकाकर्ता के बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो 21.03.2022 को लगभग 10:15 बजे, हिरो होंडा एजेंसी, जगदीशपुर के पास एक अज्ञात ट्रक की लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई, जिसके

कारण अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304 (ए) के तहत नौतन (जगदीशपुर) पुलिस स्टेशन कांड संख्या 158/2022, दिनांक 22.03.2022 को पंजीकृत किया गया।

2. हालांकि उत्तरदाताओं द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामला हिट एंड रन का मामला बन गया, फिर भी, उपरोक्त दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना के कारण उसके पुत्र की मृत्यु के कारण याचिकाकर्ता को अनुग्रह राशि/मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में सरकारी अधिकारियों के बीच विभिन्न आंतरिक संचार का आदान-प्रदान हुआ। बहरहाल, जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया ने दिनांक 05.04.2023 को एक पत्र द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया को लिखा था कि परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.08.2021 के अनुसार, याचिकाकर्ता को अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपये की राशि देय है, हालांकि, याचिकाकर्ता को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया और अंततः रुपये की एक छोटी राशि का भुगतान किया गया। सोलेशियम स्कीम, 1989 में निहित प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता को 25,000/- रुपये का भुगतान किया गया था। यह भी बताया गया है कि उप-विभागीय अधिकारी, बेतिया सदर ने पत्र दिनांक 03.02.2024 के माध्यम से 2 लाख रुपये की राशि के भुगतान की अनुशंसा की थी, लेकिन इसका भी भुगतान नहीं किया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा दिनांक 11.08.2021 को जारी राजपत्र अधिसूचना का हवाला दिया है, जिसे "बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियम, 2021" शीर्षक से दिनांक 15.09.2021 से प्रभावी होना है, जिसमें मोटर वाहन नियम, 1992 की धारा 225 एफ को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया गया है:-

"225 एफ-हिट एंड रन केस:-

(1) हिट एंड रन वाहन दुर्घटनाओं के मामलों में, दुर्घटना दावा जांच अधिकारी-सह-अनुमंडल अधिकारी, जांच के बाद मोटर वाहन अधिनियम के आलोक में मृतक या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के आश्रित को मुआवजा भुगतान के संबंध में अनुशंसा

करेंगे। दुर्घटना दावा निर्धारण अधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से अंतरिम मुआवजा राशि के भुगतान की तुरंत मंजूरी देंगे। (नियमों के तहत परिभाषित सॉलटियम योजना के अनुसार दावा मूल्यांकन अधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी को 'दावा मूल्यांकन आयुक्त' के रूप में माना जाएगा)।

(2) जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपये (पांच लाख) औरगंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रूपये की अंतरिम क्षतिपूर्ति का भुगतान 'बिहार वाहन दुर्घटना सहायता कोष' से किया जाएगा तथा इस योजना के लिए अनुमोदन आदेश प्राधिकृत प्रमुख बीमाकर्ता को संसूचित किया जाएगा, ताकि प्रमुख बीमाकर्ता के स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता कोष में देय राशि की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(3) भारत सरकार द्वारा घोषित सोलेशियम योजना/अद्यतन योजना के अनुसार भुगतान की गई अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि में से अधिकृत बीमा कंपनी (प्रमुख बीमाकर्ता) द्वारा सामान्य बीमा परिषद के अनुसार बिहार वाहन दुर्घटना सहायता कोष से संबंधित दुर्घटना दावा निर्धारण पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति भुगतान की शेष राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता कोष से व्यय की गई मानी जाएगी।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यद्यपि बिहार राजपत्र में दिनांक 11.08.2021 (हिंदी संस्करण)/15.02.2022 (अंग्रेजी संस्करण) को प्रकाशित दिनांक 11.08.2021 की उपरोक्त अधिसूचना पर इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2183/2022 (संदीप राज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा अन्य समरूप मामलों में दिनांक 21.12.2022 के आदेश द्वारा रोक लगा दी थी, फिर भी, रिट याचिकाओं के उक्त बैच का इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने दिनांक 28.11.2023 के आदेश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निपटारा कर दिया:-

"3. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने रिट याचिकाओं में दी गई चुनौती के गुण-दोष पर या सरकार द्वारा अब बनाए गए नियमों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी मुआवजे का भुगतान किया जाना बाकी है, जिसका भुगतान केवल तत्काल रिट याचिकाओं के लंबित होने और उसमें पारित अंतरिम आदेश के आधार पर रोका गया था, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दुर्घटना के

पीड़ितों या उनके आश्रितों को यथासंभव शीघ्रता से भुगतान किया जाएगा।"

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इसके बाद दिनांक 20.10.2023 की अधिसूचना का हवाला दिया है, जो 26.10.2023 से प्रभावी होने के लिए बिहार राजपत्र में दिनांक 26.10.2023 को प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक "बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (स्थापना एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023" है, जिसके तहत उक्त बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियमावली, 2021 द्वारा नियम 225(ए) से 225(एफ) और नियम 226 से नियम 247 में किए गए उक्त संशोधनों को निरस्त कर दिया गया है, जिसके प्रासंगिक खंड नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

"1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः

I. यह नियमावली 'बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं सेवाशर्त नियमावली 2023' कही जा सकेगी।

II. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

III. यह अधिसूचना के बिहार बजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

15. निरसन एवं व्यावृत्तिः-

I. इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन के उपरान्त इस नियमावली के अनुसार प्रमंडल स्तर पर दावा न्यायाधिकरण के गठन एवं क्रियान्वयन प्रारंभ होने तक बिहार दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के तहत जिलों में पूर्व से गठित दावा न्यायाधिकरण दायर दावा वादों को निष्पादित करेंगे।

II. इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के माध्यम से अंतःस्थापित नियम-225(A) से 225 (F) अंतःस्थापित/प्रतिस्थापित प्रपत्र तथा नियम -226 से नियम -247 में किए गए संशोधन तथा बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2021 के माध्यम से बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 में किए गए संशोधन विलोपित समझे जाएँगे।

III. परिवहन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-4047, दिनांक 29.05.2023 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व में की गयी कोई भी कार्रवाई इस नियम के अधीन कार्रवाई मानी जायेगी।

बिहार गजट में पूर्व में प्रकाशित त्रुटिपूर्ण अधिसूचना सं0-7987, दिनांक- 20.10.2023 को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से रद्द किया जाता है।

6. इस प्रकार याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एक अधिकार जो याचिकाकर्ता के पक्ष में परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी दिनांक 11.08.2021 की उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर क्रिस्टलीकृत हो गया था, जिसे "बिहार मोटर वाहन (संशोधन -1) नियम, 2021" शीर्षक से 15.09.2021 से प्रभावी होना था, जिसके द्वारा मोटर वाहन नियम, 1992 की धारा 225 एफ, विशेष रूप से 225 एफ

(2) में संशोधन किया गया है, जिसके कारण याचिकाकर्ता एक हिट एंड रन मामले में अपने बेटे की मृत्यु के कारण अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपये की राशि के भुगतान का हकदार है, अधिसूचना दिनांक 20.10.2023 के लागू होने के आधार पर नहीं छीना जा सकता है, जो केवल 26.10.2023 से प्रभावी हुई है और इसके खंड 15 के आधार पर, उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2021 को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु की तिथि यानी 21.03.2022 को, एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने के कारण, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामला एक हिट एंड रन मामला बन गया, उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2021 को इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा न तो निरस्त किया गया था और न ही उस पर रोक लगाई गई थी, इसलिए परिणामी प्रभाव यह होगा कि याचिकाकर्ता अपने बेटे की मृत्यु के बदले में अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का हकदार है, जिसकी मृत्यु एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने के कारण हुई थी।

7. *इसके विपरीत,* प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि सोलेटियम योजना, 1989 के अनुसार, याचिकाकर्ता केवल 25,000/- रुपये की राशि का हकदार है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 161 में संशोधन किया गया है और मृत्यु के मामलों में हिट एंड रन दावों के लिए मुआवजे की राशि 25,000/- रुपये से बढ़ाकर 2,00,000/- रुपये कर दी गई है, तथापि, उक्त संशोधन 01.04.2022 से प्रभावी हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ता केवल 25,000/- रुपये की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु 21.03.2022 को हुई है। बहरहाल, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं कर पाए हैं कि परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी दिनांक 11.08.2021 की उपरोक्त अधिसूचना, जिसमें हिट एंड रन मामले में मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का प्रावधान है, 21.03.2022 को अस्तित्व में थी, अर्थात अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु की तारीख।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2021 में यह प्रावधान है कि हिट एंड रन मामले

में, मृत्यु के मामले में, मृतक के निकटतम परिजन को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा, उक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2021 को यद्यपि दिनांक 20.10.2023 की एक अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा निरस्त कर दिया गया है, तथापि, 26.10.2023 से प्रभावी है, अतः निर्विवाद रूप से मध्यवर्ती अवधि के दौरान, उक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2021 कानूनी रूप से वैध, प्रवर्तनीय, लागू और प्रतिवादियों पर बाध्यकारी थी, इस प्रकार याचिकाकर्ता अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का हकदार है।

9. परिणामस्वरूप, मैं पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट, बेतिया को यह निर्देश देना उपयुक्त और उचित समझता हूं कि वह आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को शेष राशि 4,75,000 रुपये का भुगतान करें, अन्यथा उसे अपना वेतन नहीं मिलेगा।

10. रिट याचिका उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

कंचन-/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।